संख्या–26 / III(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2015

प्रेषक,

ए0एस0 पांगती,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 04 जनवरी, 2017

विषयः– **मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 991/2015 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के अन्तर्गत जिलासू– उत्तरौं (गिरसा) मोटर मार्ग का पी0सी0 द्वारा डामरीकरण का कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन, जिसकी लम्बाई 3.40 किमी0 तथा लागत ₹ 185.06 लाख है, पर **विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 185.06 लाख (₹ एक करोड़ पिच्चासी लाख छः हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की अनुमति, माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) प्रस्तुत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नही किया जायेगा।

(iii) स्वीकृत किये जा रहे विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाय।

(iv) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(v) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(vi) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(viii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(x) यदि स्वीकृत किया जा रहा कार्य पूर्व में स्वीकृत है अथवा अन्य विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22 लेखाषीर्शक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–1121/XXVII/(2)/2016 दिनांक 04 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

संख्याः– 26 /III(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, टिहरी।
4. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, टिहरी।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, गोपेश्वर।
8. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी।
9. गार्ड बुक।

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, PWD (S038)

आवंटन पत्र संख्या - 26/III(2)/17-04(M.L.A)/2015

अलोटमेंट आई डी - S1701220092

अनुदान संख्या - 022

आवंटन पत्र दिनांक -04-Jan-2017

HOD Name - Chief Engineer PWD (4227)

1: लेखा शीर्षक 5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04 - जिला तथा अन्य सड़के

800 - अन्य व्यय

03 - राज्य सेक्टर

02 - नया निर्माण कार्य

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	9290000	10000	9300000
	9290000	10000	9300000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 10000

(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव, लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन-I" उत्तराखण्ड़ देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक- 42 /20 याता0'क' / 2017 दिनांक- 09.01.2017

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य अभियन्ता स्तर-I, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम् वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पोखरी।
4. अधिशासी अभिन्यता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक / बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

VT head (op) Upload! 12/1/17

वरिष्ठ [illegible] अधिकारी
कार्यालय [illegible] विभागाध्यक्ष
लोक [illegible], उत्तराखण्ड